

मुख्य परीक्षा

भारत में संसदीय स्वास्थ्य में गिरावट

संदर्भ

भारत के संसदीय लोकतंत्र की नींव, यानी कार्यपालिका की विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व की वेस्टमिंस्टर मॉडल प्रणाली, मौलिक रूप से कमजोर हो गई है और इसकी जगह कार्यपालिका का वर्चस्व स्थापित हो गया है।

ऐसे तंत्र जिनके माध्यम से विधायिका जवाबदेही सुनिश्चित करती है -

- **प्रश्नकाल:** मंत्री नीतियों, कार्यों और प्रशासनिक चूकों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
- **शून्यकाल:** सांसद तत्काल सरकार की प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाले अत्यावश्यक मामले उठाते हैं।
- **संसदीय समितियाँ:** स्थायी समितियाँ, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और अन्य समितियाँ विधेयकों, बजटों और प्रशासनिक कार्यों की जाँच करती हैं।
- **प्रस्ताव:** निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार को अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए बाध्य करते हैं।
- **बजटीय नियंत्रण:** विधानमंडल व्यय को मंजूरी देता है; कटौती प्रस्ताव और अनुदान मांगों की जाँच वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- **विचार-विमर्श और चर्चाएँ:** विधेयकों, बजट सत्रों और विशेष चर्चाओं के दौरान नीतिगत विचार-विमर्श से सरकारी निर्णयों की जाँच होती है।
- **प्रत्यायोजित विधान निरीक्षण:** अधीनस्थ विधान समिति कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की समीक्षा करती है।
- **लेखापरीक्षा और रिपोर्ट:** सार्वजनिक व्यय में दुरुपयोग या अक्षमता की जांच के लिए पीएसी द्वारा सीएजी निष्कर्षों की समीक्षा की जाती है।

EXECUTIVE	LEGISLATURE
<ul style="list-style-type: none"> • Composition: President (nominal), PM & Council of Ministers (real power) • Functions: Policy-making, public services, national security, foreign affairs • Powers: Ordinances, key appointments, armed forces command, budget preparation • Accountability: To Lok Sabha (via collective responsibility) 	<ul style="list-style-type: none"> • Composition: Lok Sabha, Rajya Sabha, and President • Functions: Law-making, budget approval, executive scrutiny • Powers: Constitutional amendments, impeachments, emergency laws, treaties • Articles: 79-123 govern its functioning

भारतीय संसद के कामकाज की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **घटते बैठक दिवस:** पिछले दशक में संसद औसतन केवल 70 दिनों के लिए ही बैठती थी, जो 1950 के दशक के 120-140 दिनों से काफी कम है।
- **घटती संसदीय उत्पादकता:** 17वीं लोकसभा (2019-2024) केवल 47% दक्षता से कार्य कर पाई।
- **विचार-विमर्श के लिए कम समय:** 2023 के बजट सत्र में केवल 12 घंटे विचार-विमर्श में बीते, जो 1990 के 123 घंटों से काफी कम है।
- **विपक्ष का हाशिए पर जाना:** संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा की मांग करने पर 2023 में एक ही सत्र में रिकॉर्ड 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया।
- **अध्यादेशों पर बढ़ती निर्भरता:** 1950 से अब तक 750 से ज्यादा अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 76 अध्यादेश 2014 और 2023 के बीच प्रख्यापित किए गए।
 - उदाहरण के लिए, 2020 के कृषि अध्यादेशों को पूर्व-विधायी जाँच के बिना पेश किया गया था।
- **बजट निगरानी में कमी:** 2023 में, अनुदानों की 75% से ज्यादा माँगें बिना किसी विचार-विमर्श के स्वीकृत कर दी गईं, और कुल व्यय के केवल 11% की ही विस्तृत जाँच की गई।

भारत में संसदीय कामकाज में गिरावट के पीछे प्रमुख कारक -

- **व्यवधानों का संस्थागतकरण:** बार-बार स्थगन, बहिर्गमन और नारेबाजी ने संसद के कार्य समय को कम कर दिया है।
 - उदाहरण के लिए, सत्रों में नियमित रूप से 40-60% कार्य घंटे नष्ट हो जाते हैं।
- **बढ़ता ध्रुवीकरण:** गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण ने आम सहमति निर्माण को कम कर दिया है।
 - टकराव की राजनीति तेजी से ठोस विचार-विमर्श की जगह ले रही है।
- **संसदीय समिति प्रणाली का क्षरण:** समिति की जाँच में भारी गिरावट आई है, आज केवल लगभग एक-चौथाई विधेयक ही भेजे जाते हैं, जबकि 1990 के दशक में यह संख्या 60-70% थी।
- **कार्यपालिका का अतिक्रमण:** अध्यादेशों के माध्यम से कार्यकारी शक्ति का विस्तार, धन विधेयक के रणनीतिक उपयोग, पीठासीन अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण आचरण और दलबदल विरोधी कानून के कमजोर प्रवर्तन ने संसद को एक औपचारिक अनुमोदन निकाय तक सीमित कर दिया है।
 - उदाहरण के लिए, रोजर मैथ्यू और कीशम मेघचंद्र जैसे मामलों में न्यायिक टिप्पणियां इन विकृतियों को रेखांकित करती हैं।

भारतीय संसद के पतन के प्रभाव -

- **लोकतांत्रिक जांच और संतुलन का कमजोर होना:** संसदीय जांच में कमी कार्यपालिका को नीति निर्माण पर हावी होने की अनुमति देती है।
 - इससे लोकतांत्रिक पतन में तेजी आती है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय - जैसे कि पीएम-केयर्स जैसे फंड का निर्माण - विधायी निगरानी से बच जाते हैं।
- **खराब-गुणवत्ता और जल्दबाजी में अधिनियमित कानून:** पर्याप्त विचार-विमर्श या समिति की समीक्षा के बिना पारित कानून अक्सर डिजाइन दोषों, अस्पष्टता और कार्यान्वयन के मुद्दों से ग्रस्त होते हैं।
 - उदाहरण के लिए, आयकर विधेयक (1961 अधिनियम की जगह) और ऑनलाइन गेमिंग विधेयक।
- **लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास का ह्रास:** सर्वेक्षण (लोकनीति-सीएसडीएस, एडीआर) से पता चलता है कि केवल एक-चौथाई नागरिक संसद में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं।
- **न्यायिक अतिरेक:** जैसे-जैसे संसद कम प्रभावी होती जाती है, न्यायपालिका नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए तेजी से कदम उठाती है।
 - उदाहरणार्थ, चुनावी बांड निर्णय (2024), राज्यपाल और राष्ट्रपति स्वीकृति निर्णय (2025), आदि।


आगे की राह -

- **सदन के बैठकों के दिनों में वृद्धि:** वार्षिक रूप से न्यूनतम 100 बैठकों के लिए वेंकटचेलैया समिति (2002) और राज्यसभा समिति (2008) की सिफारिशों को एक पूर्व-घोषित कैलेंडर के साथ अपनाना।
- **दल-बदल विरोधी कानून को सीमित करना:** 10वीं अनुसूची को केवल विश्वास और धन विधेयकों तक ही सीमित करना (जैसा कि विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में सुझाया गया है)।
- **समिति द्वारा अनिवार्य जाँच:** सभी गैर-आपातकालीन विधेयकों के लिए समिति की जाँच को अनिवार्य बनाना और उन्हें अनुसंधान सहायता प्रदान करना।
 - उदाहरण: यू.के. प्रवर समितियां और यू.एस. कांग्रेस समितियां।
- **एक स्वतंत्र संसदीय बजट कार्यालय(PBO) की स्थापना:** यू.एस. कॉन्ग्रेस बजट कार्यालय(CBO) की तर्ज पर एक स्वतंत्र संसदीय बजट कार्यालय(PBO) स्थापित करना ताकि सांसदों को राजकोषीय प्रस्तावों, बजटीय अनुमानों और दीर्घकालिक व्यय प्रतिबद्धताओं का स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान किया जा सके।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न. आपके विचार में, संसद भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही किस हद तक सुनिश्चित करने में सक्षम है? (2021)

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



एआई और जलवायु परिवर्तन के युग में ऊर्जा नीति में सुधार की आवश्यकता है

संदर्भ

भारत का ऊर्जा परिदृश्य दो परिवर्तनकारी शक्तियों, वैश्विक जलवायु संकट और ऊर्जा-प्रधान एआई डेटा केंद्रों के तेजी से बढ़ते उदय, के कारण एक बड़े संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हालाँकि भारत ऐतिहासिक रूप से पहुँच, सामर्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है, लेकिन उभरते परिदृश्य में एक ऐसे शासन ढाँचे की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम हो।

भारत के ऊर्जा परिदृश्य में उभरते गतिरोध -

- **हरित परिवर्तन बनाम सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताएं:** कोल इंडिया प्रत्यक्ष रूप से लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार देती है, जबकि लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं।
 - कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने से नौकरियों के नुकसान और चुनावी प्रतिक्रिया का जोखिम होता है।
 - लेकिन भारत में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 शहर हैं (2024) - डीकार्बोनाइजेशन की तत्काल आवश्यकता है।
- **हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चीन पर निर्भरता:** 80% वैश्विक सौर पैनल, 95% पॉलीसिलिकॉन वेफर्स, 80% लिथियम-आयन प्रसंस्करण चीन के प्रभुत्व में है।
 - चीन से आयात करने से सबसे कम लागत पर नवीकरणीय तैनाती में तेजी आती है, लेकिन भारत की रणनीतिक भेद्यता बढ़ जाती है।
- **एआई डेटा केंद्रों से बिजली की मांग में वृद्धि:** टेक दिग्गज (गूगल, रिलायंस, अमेज़न) गीगावाट-स्केल केंद्रों की योजना बना रहे हैं।
 - इसके लिए बड़ी मात्रा में विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा + बैटरी भंडारण की आवश्यकता होती है।
 - लेकिन एआई-संचालित बढ़ती मांग भारत को थर्मल पावर प्लांटों के जीवन का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे विकास और डीकार्बोनाइजेशन के बीच तनाव पैदा हो सकता है।
- **खंडित ऊर्जा शासन संरचना:** कई मंत्रालय (बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, एमएनआरई) और राज्य → धीमी निर्णय प्रक्रिया।
 - जलवायु, एआई, आपूर्ति श्रृंखलाओं, निजी निवेश और भू-राजनीति को सामूहिक रूप से प्रबंधित करने के लिए कोई एकीकृत संस्थान नहीं है।
- **निजी क्षेत्र की बाधाएं:** नियामक अनिश्चितता, भूमि मंजूरी, ग्रिड बाधाएं, दीर्घकालिक नीति दृश्यता की कमी।
 - भू-राजनीतिक जोखिमों और घरेलू अनुपालन बाधाओं को नेविगेट करने में कठिनाई।


भारत के लिए निहितार्थ -

- **नवीनीकृत ऊर्जा असुरक्षा:** आयातित सौर घटकों, बैटरी और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निरंतर निर्भरता भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में नई कमजोरियों के प्रति उजागर कर सकती है।
- **जीवाश्म उपयोग बढ़ाने का दबाव:** एआई से संबंधित बिजली की मांग में तेज वृद्धि राज्यों को कोयले और गैस पर अधिक निर्भर रहने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे भारत की पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं और एनडीसी लक्ष्यों को संभावित रूप से खतरा हो सकता है।
- **उच्च तकनीक उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी:** ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण में अपर्याप्त प्रगति एआई, सेमीकंडक्टर, ईवी विनिर्माण और एयरोस्पेस क्षेत्रों में निवेश को रोक सकती है।
- **कोयला संक्रमण से सामाजिक-आर्थिक जोखिम:** खराब तरीके से नियोजित कोयला चरणबद्ध कटौती से नौकरियों का नुकसान हो सकता है, कोयला-निर्भर राज्यों में राजकोषीय अस्थिरता हो सकती है, और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिरोध हो सकता है।
- **शासन की बाधाएँ रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को धीमा करना:** खंडित ऊर्जा निर्णय लेने से भारत के विमानन, एआई और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनने के लक्ष्य में बाधा आ सकती है, क्योंकि विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाती है।

आगे की राह -

- **राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग की स्थापना:** यूएस ऊर्जा विभाग (US Dept. of Energy) जैसा एक एकीकृत निकाय स्थापित करना; जो विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और उद्योग के बीच सामंजस्य स्थापित करे।
- **न्यायसंगत संक्रमण ढाँचा लागू करना:** कोयला क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा और पुनः कौशल कार्यक्रमों का कार्यान्वयन (मॉडल के रूप में दक्षिण अफ्रीका की न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण साझेदारी (JETP))।
- **घरेलू हरित विनिर्माण का विकास:** उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन(PLI) योजनाओं को सुदृढ़ करना; ऑस्ट्रेलिया-अफ्रीका साझेदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करना।
- **ग्रिड और भंडारण अवसंरचना का आधुनिकीकरण:** ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विस्तार करना; बैटरी भंडारण और पम्पड हाइड्रो में निवेश करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना:** डेटा सेंटर की बिजली आवश्यकताओं और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए स्थिर नियमन, हरित बांड और पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) सुनिश्चित करना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



प्रारंभिक परीक्षा


संशोधित भूकंप डिजाइन कोड - 2025

संदर्भ

भारत ने संशोधित भूकंप डिजाइन कोड (2025) के तहत एक अद्यतन भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र जारी किया है।

नए ज़ोनिंग का विवरण -

- **संशोधित ज़ोन वर्गीकरण:** भारत की पिछली चार-ज़ोन प्रणाली (ज़ोन II, III, IV, और V) को पुनर्गठित किया गया है, जिसमें एक नया उच्चतम जोखिम वाला ज़ोन VI पेश किया गया है।



- **हिमालयी चाप का उन्नयन:** संपूर्ण हिमालयी बेल्ट को अब ज़ोन VI में रखा गया है, जबकि पहले इसे ज़ोन IV और V के बीच विभाजित किया गया था।
- **सीमा बस्तियों को उच्चिकृत किया गया:** ज़ोन सीमाओं पर स्थित कस्बों और क्षेत्रों को अब स्वचालित रूप से उच्च जोखिम वाले ज़ोन के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- **भूविज्ञान-आधारित मानचित्रण:** खतरा मूल्यांकन अब राज्य या ज़िला प्रशासनिक सीमाओं के बजाय भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय विशेषताओं को प्राथमिकता देता है।
- **भारत की भूकंप संवेदनशीलता:** भारत का लगभग 61% भूभाग मध्यम से उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में आता है (पहले यह 59% था)।
- **जनसंख्या जोखिम:** भारत की लगभग 75% आबादी अब भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रहती है।

स्रोत: [इकोनॉमिक टाइम्स](#)

पीएम 2.5 और रूमेटाइड आर्थराइटिस

संदर्भ

एम्स के शोधकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम 2.5 रूमेटाइड आर्थराइटिस का कारण बन सकता है।

PM2.5 क्या है?

- **PM2.5 (पार्टिकुलेट मैटर ≤ 2.5 माइक्रोमीटर)** अत्यंत सूक्ष्म वायुजनित कणों को संदर्भित करता है - जो मानव बाल की चौड़ाई का लगभग 1/30वां हिस्सा होता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं।
 - इनमें विषाक्त पदार्थ होते हैं: भारी धातुएँ, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बन यौगिक।
 - स्रोतों में शामिल हैं: वाहनों का धुआँ, बायोमास का जलना, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और सर्दियों का धुआँ।
- **यह खतरनाक क्यों है:**
 - प्रणालीगत सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, फेफड़ों की क्षति और प्रतिरक्षा गड़बड़ी का कारण बनता है।
 - हृदय रोग, अस्थमा, कैंसर और अब, रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून विकारों से जुड़ा हुआ है।

रूमेटाइड आर्थराइटिस (RA) क्या है?

- यह एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है जहाँ प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर के अपने जोड़ों, विशेष रूप से सिनोवियम (जोड़ों के परत) पर हमला करती है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - जोड़ों का दर्द, सूजन, सुबह की अकड़न, दिव्यांगता।
 - आनुवंशिक + पर्यावरणीय कारकों (प्रदूषण, धूम्रपान, संक्रमण) के मिश्रण से ट्रिगर।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

INS तारागिरी

संदर्भ

INS 'तारागिरी' को प्रोजेक्ट-17A के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- इससे पहले प्रोजेक्ट-17A के तहत भारतीय नौसेना ने INS नीलगिरी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को प्राप्त किया था।

INS तारागिरी के बारे में -

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा प्रोजेक्ट-17A के तहत निर्मित।
- इसका नाम पूर्ववर्ती INS तारागिरी (लिफ्ट-क्लास) के नाम पर रखा गया है, जिसने 1980-2013 तक सेवा दी थी।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - इन जहाजों में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (LRSAM), ब्रह्मोस मिसाइलें, बराक-8, हल्के पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर (IRL) शामिल हैं।
 - ये मल्टी-मिशन रडार, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एयरबोर्न अल्टी-वार्निंग रडार, सतह-निगरानी रडार और हमसा-एनजी सोनार जैसे उन्नत सेंसर से लैस हैं।

प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स की मुख्य विशेषताएं -

- पतवार का डिजाइन शिवालिक-क्लास (P-17) से 4.54% बड़ा है।
- उन्नत हथियार और सेंसर सूट के साथ बेहतर स्टील्थ और स्लीकनेस।
- संयुक्त डीज़ल या गैस (CODOG) प्रणोदन का उपयोग करता है, जिसमें शामिल हैं:
 - डीज़ल इंजन + गैस टर्बाइन।
 - कंट्रोलैबल पिच प्रोपेलर (CPP)।
 - स्वचालन और दक्षता के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS)।

स्रोत: [पीआईबी](#)

सिम बाइंडिंग (SIM binding)

संदर्भ

सरकार ने साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए मैसेजिंग ऐप के लिए सिम बाइंडिंग को अनिवार्य कर दिया है।

सिम बाइंडिंग का क्या मतलब है?


- सिम बाइंडिंग का अर्थ है उपयोगकर्ता के मैसेजिंग ऐप अकाउंट को पंजीकरण के दौरान उपयोग किए गए विशिष्ट सिम कार्ड से जोड़ना, जिससे एक्सेस केवल तभी मिलता है जब वह सिम भौतिक रूप से डिवाइस में मौजूद हो।
- सिम बाइंडिंग की आवश्यकता:
 - साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि: सिम बाइंडिंग का उद्देश्य विदेशों से भारतीय नंबरों का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। अकेले 2024 में, भारत में 1.1 लाख से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग 70% मैसेजिंग ऐप से जुड़े थे।
 - फर्जी केवाईसी सिम कार्डों का प्रसार: जाली या नकली पहचान का उपयोग करके जारी किए गए बड़ी संख्या में सिम कार्ड, अकाउंट के दुरुपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल ने 2023-24 में 6.3 लाख फर्जी सिम कार्डों की पहचान की है।

- **सिम हटाने के बाद भी काम करने वाले ऐप्स:** कई ऐप्स मूल सिम को हटा दिए जाने पर भी काम करते हैं, जिससे दुरुपयोग की अनुमति मिलती है। दूरसंचार विभाग के एक ऑडिट में पाया गया कि घोटाले से संबंधित 45% अकाउंट बिना पंजीकृत सिम के संचालित होते हैं।
- **सीमा पार धोखाधड़ी नेटवर्क का उदय:** जाँच से पता चलता है कि प्रमुख साइबर अपराध मॉड्यूल भारत के बाहर से असत्यापित खातों का उपयोग करके काम कर रहे हैं। कर्नाटक साइबर पुलिस ने ऐसे

विदेशी संचालकों द्वारा ₹850+ करोड़ (2023-25) की धोखाधड़ी का पता लगाया है।

- **TIUE सिस्टम की कमजोरी:** मोबाइल नंबरों को यूजर आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्लेटफॉर्म सिम-डिवाइस पेयरिंग के बिना भी सुरक्षित रहते हैं। TIUE के एक ऑडिट से पता चला है कि 12 से ज्यादा बड़े मैसेजिंग ऐप्स में सिम वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल का अभाव है।

स्रोत: [टीओआई](#)



समाचार में प्रजातियां

शॉर्ट नेक क्लैम



समाचार? अष्टमुडी झील में शॉर्ट नेक क्लैम आबादी में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं।


शॉर्ट नेक क्लैम के बारे में -

- **वितरण:** यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र का मूल निवासी द्विकपाटी मोलस्क(bivalve mollusc) है।
 - इसका क्षेत्र ओमान की खाड़ी से लेकर जापान तक फैला हुआ है, जिसमें भारत, चीन, सुमात्रा और फिलीपींस शामिल हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - **स्वरूप:** इसका बाहरी आवरण त्रिकोणीय से अंडाकार चमकदार होता है, जिसका रंग परिवर्तनशील पीला-भूरा होता है, जो अक्सर गहरे रेडियल बैंड द्वारा चिह्नित होता है।
 - **आवास:** यह चार मीटर की गहराई पर उथले समुद्री और मुहाना के रेतीले-कीचड़ वाले मैदानों में निवास करता है।
 - उच्च संचयन और कम विषहरण के कारण भारी धातु और पेट्रोलियम-हाइड्रोकार्बन प्रदूषण के जैव-सूचक के रूप में कार्य करता है।
 - इसका उपयोग **भोजन** और **सीमेंट**, **कैल्शियम कार्बाइड** तथा **रेत-चूना ईंटों** के निर्माण के लिए किया जाता है।
- **प्रमुख खतरे:** प्रदूषण, आक्रामक चारु मसल्स, अति-दोहन, और लवणता या तापमान में बदलाव।

स्रोत: द हिंदू

समाचार में व्यक्तित्व

जगद्गुरु माधवाचार्य



समाचार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ(जगद्गुरु माधवाचार्य द्वारा स्थापित) का दौरा किया।

जगद्गुरु माधवाचार्य के बारे में -

- द्वैत वेदांत (Dualism) के संस्थापक, जिनका जन्म उडुपी (कर्नाटक) के पाजका में हुआ था।
- उन्होंने यह शिक्षा दी कि ईश्वर (विष्णु), व्यक्तिगत आत्मा, और पदार्थ शाश्वत रूप से भिन्न हैं।
- केंद्रीय सिद्धांत: पंचभेद — जो ईश्वर, आत्मा, पदार्थ और आत्माओं व वस्तुओं के बीच हैं।
- मुक्ति के मार्ग के रूप में भक्ति और ईश्वर की कृपा पर जोर दिया।
- उन्होंने 37 ग्रंथों की रचना की, जिनमें ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता तात्पर्य निर्णय, और महाभारत तात्पर्य शामिल हैं।
- उन्होंने उडुपी कृष्ण मंदिर और अष्ट मठ प्रणाली की स्थापना की, मंदिर प्रशासन के पर्याय रोटेशन को संस्थागत रूप दिया।
- वेदांत के प्रमुख व्यक्तित्व (शंकराचार्य - अद्वैत और रामानुजाचार्य - विशिष्टाद्वैत के साथ) में से एक हैं।
- हरिदास और भक्ति आंदोलनों तथा बाद के द्वैत विद्वानों जैसे जयतीर्थ और व्यासराज को प्रभावित किया।

स्रोत: डीडी न्यूज